

द हिन्दु अखबार के ट्वीट ने पाकिस्तान को मौका दे दिया अपना ‘‘प्रपोगैण्डा’’ फैलाने का

अखबार ने, जानकारी सूत्रों का हवाला देकर ट्वीट किया कि भारत के तीन विमान मार गिराये गये हैं

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 7 मई। आज दिन भर एक ही सवाल चर्चित रहा कि भारत ने पाकिस्तान के इस प्रचार पर कोई अधिकृत बयान क्यों जारी नहीं किया उसने भारत के 6 वायुयान मार गिराए इनमें 5 विमान थे और एक अनमैन्ड एयर वीकल (यूएवी) था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल और टीवी चैनलों के अनुसार भारत के तीन राफेल, एक एस यू 30 , एक मिग 29 और एक हैरोन यूएवी को पाकिस्तान सेना ने भारत के पाकिस्तानी पंजाब व पाक अधिकृत कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर किए गए हमले के जवाब में मार गिराया।

तथ्य यह है कि सुबह जब भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की ब्रीफिंग की गई तो इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। इस बात ने पाकिस्तान को अपना कथानक आगे बढ़ाने की खुली छूट दे दी कि उन्होंने भारत के जैट्स एवं यूएवी को नष्ट कर दिया है। भारत की चुप्पी ने

- हालांकि, अखबार ने एक घण्टे में ही इस ट्वीट को रद्द कर दिया, यह कहकर कि, अधिकारिक सूत्रों से यह साबित नहीं हो रहा है, कि भारत के विमान मार गिराये गये हैं।
- पर इस ट्वीट के स्क्रीन-शॉट, पाकिस्तान में बहुत वायरल हुए, तथा पाकिस्तान की सरकार को मौका मिला गया अपनी जनता के समक्ष जताने का, कि, पाकिस्तान ने बहुत मजबूती से माकूल जवाब दिया है, भारत के ‘‘आक्रमण’’ का।
- पर, पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री की, स्काई न्यूज़ की रिपोर्टर याल्दा हकीम के समक्ष काफी अटपटी स्थिति रही, पाकिस्तान रक्षा मंत्री के उस बयान के कारण, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था, कि, दो दशक से पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण व प्रश्रय दे रहा है। याल्दा हकीम बार-बार, यह पूछती रहीं कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, तो क्या भारत का अधिकार नहीं बनता, कि वह इन आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करे।

उन्हें यह दावा करने का मौका दिया कि आधा घंटे के आकाशीय युद्ध में उन्होंने

‘पाकिस्तान तनाव खत्म करने को तैयार है, अगर भारत कार्रवाही आगे न बढ़ाये’

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह प्रस्ताव भारत को मिला ज़रूर, पर भारत इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 7 मई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पेशकश की है कि इस्लामाबाद भारत के साथ तनाव घटाने के लिए तैयार है, इस पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि परमाणु हथियार संपन्न दो देशों बीच युद्ध न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि विश्व के लिए भी आपदा साबित हो सकता है। आसिफ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत की सेना ने पाकिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत

हमला किया है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में आसिफ ने जोर दिया कि पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, पर अगर उकसाया गया तो जवाब देगा। उन्होंने कहा, हम गत दो सप्ताह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम पर हमला तो हम जवाब देंगे। अगर भारत पीछे हटता है तो हम इस तनाव को घटाने के लिए तैयार हैं। आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीति वार्ता की योजना की संभावना

के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। पहलगांम अटैक के प्रतिकार स्वरूप किए गए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है तथा 20 घायल हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक का हवाला देते हुए कहा, भारत ने जवाब देने और आगे ऐसे हमले रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। मिश्री ने कहा, हमारा एक्शन नपा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मंत्रालयिक कर्मचारियों के आरक्षण की प्रक्रिया व परिणाम सही थे’

जयपुर, 7 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण की प्रक्रिया व 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है।

- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को दोहरा आरक्षण नहीं दिया गया।

इसके साथ ही, अदालत ने इस प्रक्रिया व आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोहित सोनी व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने माना कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को भर्ती में दोहरा आरक्षण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बने

जयपुर, 7 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो। इसके साथ ही, अदालत ने डीजीपी को 7 जुलाई तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि ई-सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश

- हाईकोर्ट ने डी जी पी को शपथ पत्र के द्वारा 7 जुलाई तक जवाब देने को कहा।

राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को भी आगामी सुनवाई पर व्यक्तिशः या बीसी के जरिए पेश होने को कहा है। अदालत ने कहा कि हमने गत सुनवाई पर पुलिस मुख्यालय के केस से जुड़े प्रभारी अधिकारी का शपथ पत्र मांगा था, लेकिन उनके स्थान पर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी का हलफनामा पेश हुआ है। ऐसे में यह अदालत के निर्देशानुसार सही नहीं है और अपने आप में गंभीर बात है। इसी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, साथ ही डीजीपी को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सरकार के जवाब से पता चलता है (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली बार दो महिला अफसरों को प्रेस को ब्रीफ करने की जिम्मेवारी सौंपी गई

कर्नल सोफिया कुरैशी सेना की सिग्नल कोर की अफसर हैं, तथा विंग कमाण्डर व्योमिका सिंह एयरफोर्स की हेलिकॉप्टर यूनिट की अनुभवी ऑफिसर हैं

- दोनों महिला अफसरों ने बखूबी प्रेस को ऑपरेशन सिन्दूर की पूरी जानकारी दी, तथा भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका का उचित उदाहरण दिया।

धी मील का पथर रहा कि इसे राष्ट्र और विश्व के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया गया। यह पहला अवसर था, जब सैन्य अलंकरणों से संभावित दो महिला अधिकारियों - भारतीय सेना के सिग्नल्स कॉर्प्स की कर्नल सोफिया कुरैशी, तथा भारतीय वायुसेना की विंग कमाण्डर व्योमिका सिंह -को रक्षा मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। परम्परागत रूप से, वरिष्ठ पुरुष अधिकारी या डायरेक्टर

भारत के विदेश सचिव ने साजिद मीर का किस्सा याद दिलाया प्रेस कांफ्रेंस में

साजिद मीर 26/11 के मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का एक मुख्य प्लानर था, तथा उसके ऊपर, अमेरिकी नागरिक की हत्या व डेनमार्क में एक अखबार व उसके कर्मचारियों पर आक्रमण करने जैसे कई संगीन जुर्म को अंजाम देने के आरोप थे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 मई। आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान को एक सुरक्षित पनाहगाह बताने वाले कथानक को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए- तैयबा के शीर्ष कमांडर साजिद मीर का मामला उठाया है। साजिद मीर को 2022 में लाहौर की एक आतंकवाद -रोधी अदालत में पेश किया गया थ
। और टैरर फण्डिंग के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, जो उस समय पाकिस्तान के अखबार ‘‘डॉन’’ में प्रकाशित हुई थी, ‘‘उसकी गिरफ्तारी को मीडिया से छिपाकर रखा गया था और पाकिस्तान के अधिकारियों ने साजिद मीर को ‘‘लापता या मृत’’ बताया था और कभी -कभी तो उसके अस्तित्व को ही नकार दिया गया था।’’

‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ के बाद हुई प्रेस वार्ता में, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पाकिस्तान की यह कुख्याति बिकुल सही है कि

- अमेरिका ने साजिद मीर को बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले को 5 मिलियन डालर का इनाम भी घोषित कर रखा था।
- 2022 में न्यायालय ने साजिद मीर, आतंकवादी गतिविधियों को फाइनैस करने के आरोप सज़ा सुनायी थी, पर पाकिस्तान सरकार ने साजिद की गिरफ्तारी की बात छुपा कर रखी और फिर साजिद को लापता/मृत घोषित कर दिया था, पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में साजिद मीर को जीवित बताया गया, तथा उसे हिरासत में लिया गया।
- विदेश सचिव विक्रम मिश्री साजिद मीर के अजीबोगरीब केस का उदाहरण देकर, साबित कर रहे थे कि, पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय ही नहीं देता, उनको बचाने के लिए, हरसंभव प्रयास भी करता है।

‘‘पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए ‘‘एक सुरक्षित पनाहगाह’’ है, जहाँ आतंकवादियों को सजा से छूट है।’’ पहलगाम आतंकी हमलों पर बोलते हुए मिश्री ने कहा, ‘‘इस हमले के लक्षण, पाकिस्तान द्वारा

भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लंबे इतिहास से मेल खाते हैं, जो अच्छी तरह से दस्तावेजों में दर्ज हैं और निर्विवाद हैं।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘साजिद मीर का मामला, जिसमें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ने पीओके तथा पाकिस्तान के काफी अन्दर के हिस्से के चिन्हित आतंकी कैम्पों पर सेना की सुस्पष्ट स्ट्राइकों का ब्यौरा दिया। कर्नल कुरैशी ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य उन बैंकअप और फॉरवर्ड प्रशिक्षण शिविरों का निष्क्रिय करना था जिनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय रूप से तय शुदा आतंकी संगठन करते हैं। हमने अपने रणनीतिक लक्ष्य बिना अपने किसी नुकसान के हासिल कर लिये।’’

विंग कमाण्डर व्योमिका सिंह, जो भारत के पहले ऑपरेशनल हेलिकॉप्टर पायलटों में से एक हैं तथा जिन्हें विभिन्न ऑपरेशनों का व्यापक अनुभव है, ने उनका सहयोग करते हुये हवाई बिन्दुओं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

18 एयर पोटर्स पर दस मई तक सिविल उड़ानें बंद

नयी दिल्ली, 07 मई। देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में 18 हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों को 10 मई तक रोक दिया गया है। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के कुछ घंटों बाद, बुधवार तड़के अचानक सिविल उड़ानों को बंद

- इन 18 एयर पोटर्स में, राजस्थान के तीन हवाई अड्डे जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर शामिल हैं।

करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के अनुसार, जिन हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों को बंद किया गया है, उन हवाई अड्डों की सूची में लेह, थोइस, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, ग्वालियर, जैसलमेर, बीकानेर, जामनगर, भटिंडा, भुज, धर्मशाला, शिमला, राजकोट और पोखरंद शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, उड़ानें रोकने के लिए नोटिस दू एयरमैन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मित्र है। यदि कोई देश भारत के पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़ा हुआ है तो वह इज़रायल है। इज़रायल ने कहा है कि भारत को आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया करने का अधिकार है। इज़रायल पर हमला के हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी का जवाब इस मामले में अच्छा साबित हुआ है। फिर विभिन्न देशों के नेताओं की प्रतिक्रियाएँ भी मिली-जुली रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय हमले को ‘‘लज्जाजनक’’ बताया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि किस पक्ष के लिए यह लज्जाजनक था। यह कुछ अस्पष्ट है, हालांकि, अमेरिका ने इज़रायल द्वारा हमला पर किए गए हमलों पर एक स्पष्ट और न्यायसंगत रुख अपनाया था। भारत के, आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया करने के अधिकार को अधिकांश देशों ने नज़रअंदाज़ किया है, और संयम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने भारत और पाकिस्तान से संयम रखने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)